न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 155/2023 दायर दिनांकः 03.07.2023

GCMS NO:- 2023/269 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कसनी पत्नी शंकरलाल जाति मीणा नि0 अरणया तहसील नैनवॉ।
2. फूलाबाई पुत्री गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
3. फालतू पुत्री गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
4. ममता पुत्री गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
5. मोरीबाई पत्नी गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
6. रामसिंह आ0 गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
7. विनोद आ0 गंगाधर जाति मीणा नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. कमलेश आ0 प्रभू जाति बागरिया नि0 बणजारी बावडी तहसील नैनवॉ।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम बडीपडाप तहसील नैनवॉ मे कृषि भूमि खाता संख्या 68 की खसरा संख्या 1108/1000, 1316/997, 1317/997 व 973 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8850 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थीगण अपने खातेदारी व आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि पर वर्षो से ग्राम बणजारी बावडी से ग्राम खेरूणा जाने वाली ग्रेवल कच्ची सड़क से होते हुए सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 996 पर होकर अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1316/997 व अन्य भूमि पर पहुंचता है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। दिनांक 30.05.2023 को प्रार्थीगण बदस्तूर रास्ते पर होकर अपनी भूमि पर जा रहे थे तभी अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के आडे फिर गया तथा कहने लगा कि तुम यहां होकर नही निकलोगे, यह कोई सरकारी रास्ता नही है। अब मैं तुम्हे यहां से नही निकलने दूंगा। जब प्रार्थीगण ने कहा कि हम वर्षो से यहीं होकर निकलते है तो अप्रार्थी कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नही है तथा रास्ते पर कांटे डालकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया तथा प्रार्थीगण को रास्ते पर होकर निकलने से साफ मना कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते को बहाल करवा कर उक्त रास्ते को 20 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे मे तरमीम करवाये जिसके लिए प्रार्थीगण रास्ते मे आने वाली भूमि का नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/278 दिनांक 14.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

हमने तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण जिस खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1108/1000, 1316/997, 1317/997 व 973 मे जाने के लिए रास्ता चाह रहे है, मे से खसरा नम्बर 1316/997 व 1317/997 पर प्रार्थीगण का कब्जा ही नही है अतः खसरा नम्बर 1316/997 व 1317/997 मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नही पाये जाने से प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवा